

पूर्वात्तर रेलवे
कार्यालय आदेश सं० 195

रेलवे बोर्ड के परिपत्र सं०- पीसी-V/2009/एसीपी/2/दि० 10.6.09 एवं आरबीई सं०-101/2009, जो महाप्रबंधक/का०/गोरखपुर के पत्र सं०- ई/254/2/भाग-19/IV दि० 16.6.09 द्वारा प्रचारित किया गया है, तथा रेलवे बोर्ड के परिपत्र सं०- पीसी-V/2009/एसीपी/2 दि० 25.02.10 जो महाप्रबंधक/का०/गोरखपुर के पत्र सं०- ई/254/2/भाग-19/IV दि० 23.03.10 के द्वारा प्रचारित किया गया है के अनुसार एमएसीपी के अन्तर्गत वित्तीय उन्नयन का लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से नामित तीन सदस्यों की समिति द्वारा पिछले तीन वर्षों की गोपनीय/कार्यपट के आधार पर की गयी सुयोग्यता जांच में यांत्रिक विभाग का निम्नलिखित कर्मचारी इस कार्यालय के समसंख्यक ज्ञापन दि० 28.12.2019 के द्वारा जारी परिणाम के अनुसार सुयोग्य घोषित हुआ है। अतः कर्मचारी को एमएसीपी के तहत वित्तीय उन्नयन का लाभ निम्न प्रकार से दिया जाता है।

क सं	कर्मचारी का नाम टि०सं० एवं कार्यस्थल	वर्तमान पद	वर्तमान पे मैट्रिक्स एवं लेवल	एमएसीपी दिये जाने का आधार	एमएसीपी जो दिया जाना है।			
					पे मैट्रिक्स एवं लेवल	सेवा पुस्तिका के अनुसार वेतन	एमएसीपी देय तिथि	निर्धारित वेतन
1	श्री मो० कमर, 7598 Tool Room	टैक्नी- III/ टर्नर	19900-63200 लेवल-2	20 वर्ष की नियमित सेवा पर	21700-69100 लेवल-3 (GP-2000)	32000/-	23.07.19	33000/-

स्पष्ट किया जाता है कि मॉडीफाइड सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के अन्तर्गत वित्तीय उन्नयन का लाभ रेलवे बोर्ड के उपर्युक्त उल्लेखित परिपत्रों की शर्तों के अध्याधीन है। इस वित्तीय उन्नयन का उपर्युक्त लाभ व्यक्तिगत रूप से कर्मचारी को दिया जा रहा है जिसका दरीयता से कोई सरोकार नहीं है तथा इसके आधार पर कर्मचारी के पद, वर्गीकरण एवं स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यदि कर्मचारी नियम 1313 (1) आर-11 के अन्तर्गत निचले वेतनमान एवं लेवल की अगली वार्षिक वेतन वृद्धि की तिथि से एमएसीपी के वेतनमान एवं लेवल में पुनः वेतन निर्धारित कराना चाहता है तो इस आशय का विकल्प यह आदेश जारी होने की तिथि से एक माह के अन्दर इस कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है।

मुकाप्र०/कार्मिक/इज्जतनगर

सं०यों/का/281/1/एमएसीपी/आर्टीजन/यांत्रिक/पार्ट-11, दिनांक: 31/12/2019

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- व०स०वि०स०/कार०/इज्जतनगर
- 2- प्रवर अनु०अमि०/टूलरूम
- 3- मुख्य कार्याधि०/समय, बिल एवं कैडर
- 4- व्यक्तिगत मिसिल
- 5- कार्यालय आदेश मिसिल
- 6- संबंधित कर्मचारी
- 7- सचिव- नरमू एवं एससी/एसटी तथा ओबीसी एस०, कार० इज्जतनगर

31-12-19
मुकाप्र०/कार्मिक/इज्जतनगर